पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0.-2243
दिनांक-11.09.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- बक्शी का तालाब

- **थाना बीकेटी पुलिस द्वारा विशेष न्यायालय से निर्गत वारंट से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

आज दिनाँक 11.09.2025 को निरीक्षक कैलाश चन्द्र दुबे मय हमराह के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम जांच अहकामात से रोकथाम जुर्म जरायम जांच अहकामात तलाश वाछिंत वारंटी न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ0नि0 अधि0 कक्ष सं0 07 लखनऊ द्वारा निर्गत एनबीडब्लू एसटी 481/2015 क्राइम नं0 279/2014 धारा 147/302 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 नौमीलाल निवासी ग्राम सरसवाँ थाना महिगवाँ जनपद लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष की तलाश में ग्राम सरसवाँ महिगवां पहुँचकर वारण्टी उपरोक्त के घर पर दविश दी गई तो अभियुक्त उपरोक्त अपने घर पर मौजूद मिला अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए समय सुबह करीब 07.55 बजे गिरफ्तार किया गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

01. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 नौमीलाल निवासी ग्राम सरसवाँ थाना महिगवाँ जनपद लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष

अपराधिक इतिहास:-

01.मु0अ0सं0 279/2014 धारा 147/302 भादवि थाना बीकेटी लखनऊ।

04-गिरफ्तारी करने वाली थाना बीकेटी की पुलिस टीम –

1.निरीक्षक कैलाश चन्द्र दुबे थाना बीकेटी लखनऊ
2.उ0नि0 अभिमन्यू शाह थाना बीकेटी लखनऊ
3.म0का0 रूबी पाराशरी थाना बीकेटी लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0.-2242
दिनांक-11.09.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- बक्शी का तालाब,

- **थाना बीकेटी पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 11.09.2025 उ0नि0 योगेन्द्र कुमार मय हमराह के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम जांच अहकामात से रोकथाम जुर्म जरायम जांच अहकामात तलाश वाछिंत वारंटी मा0 न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू केश नं0 1009/21 क्राइम नं0 324/20 धारा 2/3 यूपी गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त सूरज सिंह पुत्र कुंवर गुमान सिंह निवासी ग्राम रूद्रनगर थाना बीकेटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष की तलाश में ग्राम रूद्रनगर बीकेटी पहुँचकर वारण्टी उपरोक्त के घर पर दविश दी गई तो अभियुक्त उपरोक्त अपने घर पर मौजूद मिला अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए समय सुबह करीब 07.40 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त को थाना हाजा लाकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय प्रेषण की कार्रवाई की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

- 1. सूरज सिंह पुत्र कुंवर गुमान सिंह निवासी ग्राम रूद्रनगर थाना बीकेटी जनपद लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष । अभियुक्त खेती करता है।

अपराधिक इतिहास:-

1. **मु0अ0सं0 40/2018,** धारा : SC/ST Act 3(1)(घ), 3(1)(द), भा.दं.सं. 323, 427, 504, 506 **थाना बक्शी का तालाब, लखनऊ**
2. **मु0अ0सं0 568/2018,** धारा : भा.दं.सं. 384, 394, 504, 506 **थाना बक्शी का तालाब, लखनऊ**
3. **मु0अ0सं0 321/2019,** धारा : भा.दं.सं. 323, 504 **थाना बक्शी का तालाब, लखनऊ**
4. **मु0अ0सं0 193/2020,**धारा : भा.दं.सं. 392, 411, 506 **थाना बक्शी का तालाब, लखनऊ**

5. **मु0अ0सं0 195/2020,** धारा : आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932 धारा 7, भा.दं.सं. 147, 148, 307, 452, 504, 506 **थाना बक्शी का तालाब, लखनऊ**
6. **मु0अ0सं0 324/2020,** धारा : उ.प्र. गिरोहबन्द अधिनियम 2/3 **थाना बक्शी का तालाब, लखनऊ**
7. **मु0अ0सं0 200/2024,** धारा : SC/ST Act 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va), BNS 2023 – 115(2), 351(2), 352 **थाना बक्शी का तालाब, लखनऊ**
8. **मु0अ0सं0 91/2018,** धारा 323, 504, 506 भादवि व 3(1)(घ) : SC/ST Act थाना मड़ियांव, लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली थाना बीकेटी की पुलिस टीम –

1. उ0नि0 योगेन्द्र कुमार थाना बीकेटी लखनऊ
2. उ0नि0 सचिन कुमार थाना बीकेटी लखनऊ
3. का0 साजिन्द्र पालीवाल थाना बीकेटी लखनऊ
4. का0 देवराज सिंह थाना बीकेटी लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0.2238
दिनांक.11.09.2025

जोन पूर्वी/थाना चिनहट

- **टोपी-मास्क पहन कर दिन में बन्द घरों की रेकी कर रात्रि में ताला तोड़ कर कीमती जेवर व रूपये तथा कीमती सामान चोरी करने वाले गिरोह के 03 नफर शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **कब्जे से चोरी किये गये कीमती जेवरात 03 अदद मोबाइल फोन व कुल 4300/-रू0 नगद बरामद।**
- **थाना चिनहट पुलिस की सफलता।**

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण –

दिनाँक 11.09.2025 को चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वस्तु/वाहन तलाश वांछित/वारण्टी एवं तलाश गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्तगण/अपराध एवं अपराधियो के रोकथाम के दौरान उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह मय हमराही अधि0/कर्मचारीगण के टोपी व मास्क पहनकर नकबजनी करने वाले गिरोह के 03 नफर शातिर चोर 1. अमित कुमार रस्तोगी पुत्र अशोक कुमार रस्तोगी निवासी 18 कौशलपुरी छोटा भरवारा थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ उम्र 38 वर्ष 2. अभिनन्दन यादव पुत्र संजय यादव निवासी ग्राम चकिया रोड थाना रूपैडिया जनपद बहराइच उम्र 24 वर्ष 3. नरसिंह गौतम पुत्र गया प्रसाद गौतम निवासी ग्राम तेलवारी थाना रामनगर जिला बाराबंकी उम्र 22 वर्ष को रेलवे लाइन के किनारे मल्हौर पास से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जिनके पास से चोरी के जेवरात व नगदी 04 अदद कंगन पीली धातु, 01 अदद गले का लाकेट पीली धातु ,02 जोडी कान का झुमकी पीली धातु, 04 अदद अंगूठी पीली धातु, 02 अदद नाक की कील (पीली धातू) ,कुल वजन 49 ग्राम , 08 जोडी पायल सफेद धातु, 02 अदद अंगूठी सफेद धातु , 04 अदद पैण्डल सफेद धातु, ,कुल वजन 410 ग्राम व तीन अदद मोबाइल ,व बरामद कुल रूपया 4300-रू0 नगद, बरामद किया गया।

अपराध का संक्षिप्त विवरणः-

अभियुक्तगण पेशेवर नकबजन चोर है जिसका गैंगलीडर अमित कुमार रस्तौगी है जो लखनऊ शहर के विभिन्न क्षेत्रो मे बन्द मकानो का दिन मे रैकी करता है तथा दिन मे पहचान छिपाने के लिए टोपी-मास्क पहनकर गैंग बनाकर मौका पाकर बंद मकानो का ताला तोड़कर घर के अन्दर घुसकर कीमती जेवरात व नगदी तथा अन्य महत्पूर्ण सामान को चोरी कर लेते है प्राप्त नगदी को आपस मे बाट लेते है तथा कीमती जेवरात व अन्य वस्तु को चलते फिरते लोगो से बेच कर प्राप्त पैसे से अपना भैतिक सुख व दुनियाबी लाभ प्राप्त करने का अपराध करते है इनके द्वारा थाना चिनहट क्षेत्र मे दिनांक 11.08.2025 को वादी अभिषेक राय पुत्र रमेश चन्द्र राय निवासी 624 C चक मल्हौरी पुर्वांचल विहार थाना चिनहट जनपद लखनऊ के घर का ताला तोड़कर कीमती जेवरात,व नगदी चोरी करने

जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-414/25 धारा-305ए/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात तथा 04.09.2025 को वादी सुर्यपाल कश्यप उर्फ सूरज पुत्र प्रहलाद कश्यप निवासी म0न0 74/13 न्यू काशीराम कालोनी लौलाई थाना चिनहट जनपद लखनऊ के घर से ताला तोड़कर कीमती जेवरात, नगदी चोरी करने के संबन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-471/25 धारा-305ए/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोगो के सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण महोदय के आदेश निर्देश के क्रम में 04 टीमें गठित की गयी। गठित टीम व थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11.09.2025 को उपरोक्त अभियोगों का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 01.अमित कुमार रस्तोगी पुत्र अशोक कुमार रस्तोगी निवासी 18 कौशलपुरी छोटा भरवारा थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ उम्र 38 वर्ष 2. अभिनन्दन यादव पुत्र संजय यादव निवासी ग्राम चकिया रोड थाना रूपैडिया जनपद बहराइच उम्र 24 वर्ष 3. नरसिंह गौतम पुत्र गया प्रसाद गौतम निवासी ग्राम तेलवारी थाना रामनगर जिला बाराबंकी उम्र 22 वर्ष को रेलवे लाइन के किनारे मल्हौर पास से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जिनके पास से चोरी के जेवरात व नगदी 04 अदद कंगन पीली धातु, 01 अदद गले का लाकेट पीली धातु ,02 जोडी कान का झुमकी पीली धातु, 04 अदद अंगूठी पीली धातु, 02 अदद नाक की कील (पीली धातू),कुल वजन 49 ग्राम , 08 जोडी पायल सफेद धातु, 02 अदद अंगूठी सफेद धातु , 04 अदद पैण्डल सफेद धातु, ,कुल वजन 410 ग्राम व तीन अदद मोबाइल ,व बरामद कुल रूपया 4300-रू0 नगद बरामद किया गया ।

<u>अनावरित अभियोगो का विवरणः-</u>

01. **मु0अ0सं0-414/2025 धारा 331(4)/305A/317(2) BNS थाना चिनहट जनपद लखनऊ**
02. **मु0अ0स0 471/2025 धारा 331(4)/305A/317(2) BNS थाना चिनहट लखनऊ**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अमित कुमार रस्तोगी पुत्र अशोक कुमार रस्तोगी निवासी 18 कौशलपुरी छोटा भरवारा थाना गोमतीनगर विस्तार जनपद लखनऊ उम्र 38 वर्ष
02. अभिनन्दन यादव पुत्र संजय यादव निवासी ग्राम चकिया रोड थाना रूपैडिया जनपद बहराइच उम्र 24 वर्ष
03. नरसिंह गौतम पुत्र गया प्रसाद गौतम निवासी ग्राम तेलवारी थाना रामनगर जिला बाराबंकी उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहासः- (अभि0 अमित कुमार रस्तौगी)

01.अ0सं0 323/13 धारा 392/420/411 भादवि थाना इन्दिरानगर लखनऊ
02.अ0सं0 157/13 धारा 392/420/411 भादवि थाना इन्दिरानगर लखनऊ
03.अ0सं0 570/17 धारा 411/420/467/468/471 भादवि थाना मड़ियाव लखनऊ
04.अ0सं0 645/17 धारा 420/41/411/467/468/471 भादवि थाना चिनहट लखनऊ
05.अ0सं0 139/21 धारा 457/380/511 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
06.अ0सं0 089/2021 धारा 380/411 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
07.अ0सं0 076/2022 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
08.अ0सं0 021/2023 धारा 380/411/413 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
09.अ0सं0 115/2023 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
10.अ0सं0 134/2023 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ

11.अ0सं0 0076/2023 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
12.अ0सं0 123/2023 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
13.अ0सं0 121/2023 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
14.अ0सं0 140/2023 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
15.अ0सं0 121/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना चिनहट लखनऊ।
16.अ0सं0 457/2023धारा 457/380/420/411 भादवि थाना चिनहट लखनऊ।
17.अ0सं0 467/2023धारा 457/380/411 भादवि थाना चिनहट लखनऊ।
18.अ0सं0 468/2023धारा 457/380/411 भादवि थाना चिनहट लखनऊ।
19.अ0सं0 252 /2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना बीबीडी लखनऊ।
20.अ0सं0 260/2023धारा 457/380/411 भादवि थाना बीबीडी लखनऊ।
21.अ0सं0 166/2024 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना चिनहट लखनऊ।
22. अ0सं0 414/2025 धारा 331(4)/305A/317(2) BNS थाना चिनहट जनपद लखनऊ
23.अ0सं0 471/2025 धारा 331(4)/305A/317(2) BNS थाना चिनहट लखनऊ

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त अभिनन्दन यादव का आपराधिक इतिहास

01.अ0सं0 238/24 धारा 305, 317(2),331(4) बीएनएस थाना बीकेटी लखनऊ
02.अ0सं0 257/24 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना बीकेटी लखनऊ
03.अ0सं0 281/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना बीकेटी लखनऊ
04.अ0सं0 335/24 धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस थाना बीकेटी लखनऊ
05.अ0सं0 338/24 धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस थाना बीकेटी लखनऊ
06.अ0सं0 334/24 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना बीकेटी लखनऊ
07.अ0सं0 372/24 धारा 305ए/331(6) बीएनएस थाना बीकेटी लखनऊ
08.अ0सं0 271/23 धारा 380/457/411/413 भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ
09.अ0सं0 21/23 धारा 380/411/413 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
10.अ0सं0 115/23 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
11.अ0सं0 134/23 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
12.अ0सं0 140/23 धारा 380/411/413/457 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
13.अ0सं0 121/2023 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
14.अ0सं0 140/2023 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
15.अ0सं0 414/2025 धारा 331(4)/305A/317(2) BNS थाना चिनहट जनपद लखनऊ
16.अ0सं0 471/2025 धारा 331(4)/305A/317(2) BNS थाना चिनहट लखनऊ

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त नरसिंह गौतम का आपराधिक इतिहासः-

01. अ0सं0 414/2025 धारा 331(4)/305A/317(2) BNS थाना चिनहट जनपद लखनऊ

02. अ0सं0 471/2025 धारा 331(4)/305A/317(2) BNS थाना चिनहट लखनऊ

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

01.04 अदद कंगन पीली धातु,

02. 01 अदद गले का लाकेट पीली धातु

03.02 जोडी कान का झुमकी पीली धातु,

04. 04 अदद अंगूठी पीली धातु,

05.02 अदद नाक की कील (पीली धातू),कुल वजन 49 ग्राम ,

06.08 जोडी पायल सफेद धातु,

07.02 अदद अंगूठी सफेद धातु ,

08.04 अदद पैण्डल सफेद धातु, ,कुल वजन 410 ग्राम व

09.तीन अदद मोबाइल ,

10.कुल रूपया 4300-रू0 नगद,.

11.घटना में प्रयुक्त मारूती सुजकी वाहन संख्या UP32NH3749

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

01. उ0नि0 मनोज कुमार सिंह थाना चिनहट जनपद लखनऊ

02.उ0नि0 सुमित कुमार थाना चिनहट जनपद लखनऊ

03.उ0नि0 विवेकानन्द थाना चिनहट जनपद लखनऊ

04.उ0नि0 मुलायम यादव थाना चिनहट जनपद लखनऊ

05.उ0नि0 कपिल कुमार थाना चिनहट जनपद लखनऊ

06.उ0नि0 मोहित कुमार थाना चिनहट जनपद लखनऊ

07.हे0का0 आलौक गौतम थाना चिनहट जनपद लखनऊ

08.का0 अभिमन्यू चौधरी थाना चिनहट जनपद लखनऊ

09.का0 विनय शुक्ला थाना चिनहट जनपद लखनऊ

10.का0 प्रदीप तिवारी थाना चिनहट जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0 2237

दिनांक- 11.09.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-कृष्णानगर

- **कृष्णानगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म का वाँछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **कोतवाली कृष्णानगर पुलिस टीम की सफलता।**

01-कार्यवाही विवरण-

थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म में वाँछित चल रहे 01 नफर वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.08.2025 को वादिनी मुकदमा की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-415/2025 धारा 498A/323/354/325/376/504/506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ, बनाम- 1.शिवम चौहान (पति) 2. गोलू (देवर) पुत्रगण सुरेश चौहान 3. सुरेश चौहान पुत्र अज्ञात 4. प्राची पुत्री सुरेश चौहान, 5.संगीता पत्नी सुरेश चौहान समस्त निवासीगण भिवाणी सफेदाबाद जिला बाराबंकी, बाबत नामित प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी मुकदमा से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर गाली-गलौज/मारपीट करना एवं देवर भोलू द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ दुष्कर्म करने, किसी को बताने पर जान माल की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तगण गिरफ्तारी हेतु 02 टीमें गठित की गयी। जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज अवलोकन,सीडीआर अवलोकन, ग्राउण्ड सूचना की सहायता से घटना में संलिप्त 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

03-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 0415/2025 धारा 498A/323/325/354/376/504/506 भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना कृष्णानगर लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

1. अभियुक्त सनी चौहान उर्फ गोलू उम्र 21 वर्ष पुत्र सुरेश चौहान वर्तमान पता किराये का मकान डिप्टी गंज रेलवे क्रासिंग नीलमत्था थाना कैन्ट लखनऊ स्थाई पता ग्राम के बाड़ी पोस्ट सफेदाबाद थाना आदर्शनगर कोतवाली जनपद बाराबंकी।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0.2239
दिनांकः 11.09.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- मडियांव

- **थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा चोरी के दो अदद मोबाइल बरामद करते हुए 02 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया ।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10.09.2025 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित/अभियुक्तगण की तलाश में भिठौली तिराहे पर में मामूर थी कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई दो व्यक्ति जो ग्रे कलर की मोटरसाइकिल से है जो सीतापुर रोड़ पर लजीज रेस्टोरेंट के अपोजिट साइड ख़ड़े है और राह चलते हुए व्यक्तियों को मोबाइल बेच रहे हैं संदिग्ध प्रतीत हो रहे है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है मुखबिरखास की सूचना पर मुखबिरखास द्वारा बताये गये व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम बबलू कश्यप पुत्र श्रीराम कश्यप निवासी- सेक्टर 7 ट्रेंड्स के सामने जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ उम्र-19 वर्ष एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अतुल पुत्र विमलेश कुमार गौतम निवासी 3/923 जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष बताया । पकड़े गये व्यक्तियों के कब्जे से एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल रेड मी कम्पनी बारंग ब्लू तथा एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल पोको कम्पनी बारंग स्काई ब्लू बरामद हुआ।

बरामद हुए मोबाइलों के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 542/25 धारा 303(2) बी.एन.एस. तथा मु0अ0सं0 544/2025 धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। पकड़े गये व्यक्तियों को उनके द्वारा कारित जुर्म व जुर्म धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से अवगत कराते हुए समय करीब 22.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP32QF2261 होण्डा साइन को अन्तर्गत धारा 207 एम.बी. एक्ट में सीज किया गया। घटना में दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया । विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:- अभियुक्तगण द्वारा व्यक्ति का अपहरण कर बंधक बनाकर पैसे की मांग करना व जान से मारने की धमकी देते हुए उससे फिरौती की रकम 20 रकम आनलाइन मंगवाने के बाद छोड़ना तथा फिरौती के रूपयो को आपस में बाँट लेना जिनमें से कुछ रूपये अपने खाने पीने में खर्च कर देना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. बबलू कश्यप पुत्र श्रीराम कश्यप निवासी- सेक्टर 7 ट्रेंड्स के सामने जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ उम्र-19 वर्ष (व्यवसाय –अण्डा रोल की दुकान)
2. अतुल पुत्र विमलेश कुमार गौतम निवासी 3/923 जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष (व्यवसाय –डिलवरी बाय का काम)

04-बरामदगी:-

01. एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल रेड मी कम्पनी बारंग ब्लू
02. एक अदद एन्ड्रायड मोबाइल पोको कम्पनी बारंग स्काई ब्लू

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र चौधरी
02. उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह
03. उ0नि0 संदीप्त कुमार
04. हे0का0 कमलेश वर्मा
05. हें0का0 गौरव कुमार सिंह
06. कां0 मंजीत

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं- 2240
दिनांक-11.09.2025

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- **शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**
- **थाना महानगर पुलिस की कार्यवाही**

01.संक्षिप्त विवरण–

अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर लडकी के साथ शारीरिक बनाने के सम्बन्ध में दिनांक 28.08.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 मु0अ0स0 231/2025 धारा 69 बीएनएस थाना महानगर लखनऊ में पंजीकृत किया गया। जिसमें अभियुक्त वाछिंत चल रहा था थाना महानगर लखनऊ की पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सुमित कन्नौजिया पुत्र हरीश चन्द्र प्रसाद निवासी करनपुर उर्फ पंचफेडा, रामपुर खास, थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया उम्र करीब 29 वर्ष की गिरफ्तारी विवेकानन्द पुल थाना महानगर से की है ।

गिरफ्तार अभियुक्त सुमित कन्नौजिया पुत्र हरीश चन्द्र प्रसाद निवासी करनपुर उर्फ पंचफेडा, रामपुर खास, थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया उम्र करीब 29 वर्ष के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

- सुमित कन्नौजिया पुत्र हरीश चन्द्र प्रसाद निवासी करनपुर उर्फ पंचफेडा, रामपुर खास, थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया उम्र करीब 29 वर्ष के द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध में ।

- **03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—**

सुमित कन्नौजिया पुत्र हरीश चन्द्र प्रसाद निवासी करनपुर उर्फ पंचफेडा, रामपुर खास, थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया उम्र करीब 29 वर्ष

- **04- अनावरित अभियोग:-**

(1) मु0अ0स0 231/2025 धारा 69 बीएनएस थाना महानगर लखनऊ

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 महेश कुमार शुक्ला थाना महानगर लखनऊ
2. उ0नि0 दीपक कुमार बिन्द थाना महानगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं- 2241
दिनांक-11.09.2025

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- **लड़की के साथ बलात्कार करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**
- **थाना महानगर पुलिस की कार्यवाही**

01.संक्षिप्त विवरण–

वादिनी/पीड़िता द्वारा प्राप्त तहरीर जिसमें अभियुक्त द्वारा ब्रिटिश स्पीकिंग लैंग्वेज (BSL) का कम्पनी की फैन्चाइजी आलमबाग लखनऊ में संचालित करता है, अभियुक्त के द्वारा वादिनी/पीडिता के शिक्षा व काबिलियत को देखकर अपने आफिस में अपना (पर्सनल सेक्रेटरी) बना लिया और शुरुवात में प्रतिमाह 9,000/- रूपये बाद में रू0 35,000/- का भुगतान देने लगे व वादिनी/पीडिता को काम के बहाने शहर के बाहर भी ले जाने व दिनांक 08.09.2024 को सायं 07:00 बजे को अभियुक्त द्वारा वादिनी/पीडिता को आफिस के काम से अपने फ्लैट सं0-जी-14, स्थित सांई धाम अपार्टमेन्ट, निशातगंज, लखनऊ पर बुलाकर वादिनी/पीडिता को काफी में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया गया, तथ्य अंकित हैं।।

अभियुक्त द्वारा लडकी का बलात्कार करने तथा उसकी वीडियो बनाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 09.09.2025 को मु0अ0सं0 242/25 धारा 70/352/351(3) बीएनएस थाना महानगर लखनऊ में पंजीकृत किया गया। थाना महानगर की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अभियुक्त प्रतीक गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता निवासी-जी-14, साँई धाम अपार्टमेन्ट, निशातगंज, थाना-महानगर, लखनऊ, स्थायी पता-119/444, श्याम भवन दर्शनपुरवा जिला-कानपुर नगर की गिरफ्तारी अभियुक्त के दिये गये पते पर 119/444 दर्शनपुरवा थाना फजलगंज कानपुर नगर से की है।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रतीक गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता निवासी-जी-14, साँई धाम अपार्टमेन्ट, निशातगंज, थाना-महानगर, लखनऊ, स्थायी पता-119/444, श्याम भवन दर्शनपुरवा जिला-कानपुर नगर उम्र करीब 41 वर्ष के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

- प्रतीक गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता निवासी-जी-14, साँई धाम अपार्टमेन्ट, निशातगंज, थाना-महानगर, लखनऊ, स्थायी पता-119/444,श्याम भवन दर्शनपुरवा जिला-कानपुर नगर उम्र करीब 41 वर्ष के द्वारा नौकरी के बहाने लड़कियों के साथ बलात्कार करना व वीडियों बनाकर वायरल करने की धमकी देने के सम्बन्ध में।

- **03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—**

प्रतीक गुप्ता पुत्र अनिल गुप्ता निवासी-जी-14, साँई धाम अपार्टमेन्ट, निशातगंज, थाना-महानगर, लखनऊ, स्थायी पता-119/444, श्याम भवन दर्शनपुरवा जिला-कानपुर नगर उम्र करीब 41 वर्ष

04- अनावरित अभियोग:-

(1) मु0अ0सं0 242/2025 धारा 70/352/351(3) बीएनएस थाना महानगर लखनऊ

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 धनन्जय सिंह थाना महानगर लखनऊ
2. का0 मोहित सिंह थाना महानगर लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2244
दिनांक-11.09.2025

आपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना काकोरी पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा धारा 302 भादवि के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त (अपराध) व श्री विश्वजीत श्रीवास्तव पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्री धनंजय सिंह कुशवाहा अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) तथा श्री शकील अहमद सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर थाना काकोरी जनपद लखनऊ के नेतृत्व में व थाना स्थानीय के पैरोकार का0 संजय सिंह के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय स्पेशल जज पी0सी0-09 महोदय लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 08.09.2025 सम्बन्धित, मु0अ0सं0 347/2006 वाद संख्या 139/2007 धारा 304बी/498ए भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट थाना काकोरी जनपद लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त 1. श्रीकान्त त्रिवेदी पुत्र रामकिशोर निवासी मल्हपुर थाना बेनीगंज जनपद हरदोई को धारा 498ए/304बी भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट में दोषमुक्त किया गया एवं धारा 302 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं 10000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा।

नाम व पता अभियुक्त / सम्बन्धित अभियोग व सजा-

1.श्रीकान्त त्रिवेदी पुत्र रामकिशोर निवासी मल्हपुर थाना बेनीगंज जनपद हरदोई

फैसला -

माननीय न्यायालय स्पेशल जज पी0सी0-09 द्वारा दिनांक 038.09.2025 को अभियुक्त श्रीकान्त त्रिवेदी पुत्र रामकिशोर निवासी मल्हपुर थाना बेनीगंज जनपद लखनऊ को धारा 498ए/304बी भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट में दोषमुक्त किया गया एवं धारा 302 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा।

पैरवीकर्ता-

01. प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर थाना काकोरी लखनऊ
02. पैरोकार का0 संजय सिंह थाना काकोरी जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ

प्रेस नोट सं0.-2236
दिनांक 11.09.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- निगोहां

- **युवक की हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण।**
- **हत्या करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना निगोहां एवं सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त दक्षिणी की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।**

कार्यवाही विवरण- थाना निगोहां पुलिस टीम द्वारा युवक की हत्या की घटना कारित करने वाले 02 नफर वांछित अभियुक्तगण 1. **संतोष यादव** पुत्र राजाराम निवासी ग्राम कुशलीखेडा मजरा डेहवा थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ उम्र 35 वर्ष **2. देवेश यादव उर्फ बोग्गा** पुत्र स्व0 धर्मपाल निवास ग्राम मस्तीपुर थाना निगोहा जनपद लखनऊ उम्र 24 वर्ष को **सिसेण्डी मार्ग पर स्थित जंगल तिराहा के पास से** गिरफ्तार करते हुए थाना निगोहां पर पंजीकृत मु0अ0स0-174/2025,धारा-103(1)/351(3) बीएनएस का सफल अनावरण किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण – वादी मुकदमा श्री रामनरेश रावत पुत्र स्व0 रामआसरे नि0ग्रा0 शंकर बक्श खेडा मजरा रायभानखेडा थाना मोहनलालगंज लखनऊ के पुत्र शनी रावत उम्र करीब 24 वर्ष द्वारा विपक्षी जीतू यादव पुत्र स्व0 धर्मपाल निवासी ग्राम मस्तीपुर थाना निगोहा जनपद लखनऊ की बहन से प्रेम विवाह किया था ,जिसको लेकर देवेश यादव एवं उसका भाई खुश नही था। देवेश यादव उर्फ बोग्गा द्वारा अपने भाई जीतू यादव तथा अपने साले संतोष यादव व साथी राजकपूर व जयसिंह यादव उर्फ कल्लू के साथ मिलकर मृतक शनी रावत की हत्या करने की योजना बनाई गयी और दिनांक-08.09.2025 को शनी रावत को जेल रोड देशी शराब ठेका के पास से अपनी स्कॉर्पियो गाडी में बैठा लिया गया। देवेश यादव उर्फ बोग्गा व भाई जीतू यादव द्वारा अपने सभी साथियों के साथ मिलकर गाडी में ही शनी रावत की रॉड से वार कर हत्या कर दी गयी। हत्या करने के बाद शनी रावत के मृत शरीर को छिपाने के उद्देश्य से सिसेण्डी मार्ग पर ग्राम गौतम खेडा के पास स्थित नाले पर लाकर शनी रावत के जिंदा न रहने के उद्देश्य से सभी के द्वारा मिलकर बारी-बारी से शनी रावत के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया गया और उसके मृत शरीर को नाले में फेंक दिया गया। जिसके संबन्ध में वादी मुकदमा रामनरेश रावत द्वारा दिनांक 09.09.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-174/2025,धारा-103(1)/351(3) बीएनएस बनाम- 01.सन्तोष यादव पुत्र राजाराम नि0ग्रा0 देवसिंह खेडा थाना गोसाईगंज लखनऊ 02.जीतू यादव 03.देवेश यादव उर्फ बोग्गा पुत्रगण स्व0 धरमपाल नि0ग्रा0 मस्तीपुर थाना निगोहा लखनऊ पंजीकृत कराया गया था। अभियोग के त्वरित निस्तारण व सफल अनावरण एवं अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु डीसीपी दक्षिणी महोदय के निर्देश के क्रम में मय सर्विलांस टीम के 03 टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम लगातार हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण की तलाश कर रही थी कि मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक-11.09.2025 को वांछित अभियुक्तगण 01.देवेश यादव उर्फ बोग्गा पुत्र स्व0 धर्मपाल निवास ग्राम मस्तीपुर थाना निगोहा जनपद लखनऊ 02.संतोष यादव पुत्र राजाराम निवासी ग्राम कुशलीखेडा मजरा डेहवा थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ को सिसेण्डी मार्ग पर स्थित जंगल तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्तगण की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल गमछा एवं लोहे की रॉड को बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया। अन्य वांछित अभियुक्तगण की तलाश जारी है।